



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgvurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgvurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/6327-6359

दिनांक : 29-03-2023

आयुक्त/अधिकाारी,
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका,
राजस्थान।

अति आवश्यक

विषय:—“इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी” (IRGY-U) योजना के अन्तर्गत कार्ययोजना स्वीकृत कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं, कि “इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना” की समीक्षा के दौरान जानकारी में आया है, कि कई नगरीय निकायों द्वारा कुछ ऐसे कार्य प्रस्तावित किये गये हैं, जो योजना की स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्य “इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना” के स्वीकृत दिशा-निर्देश एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम- 2009 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुये ही सम्मिलित किये जावें। जिससे किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता की संभावना ना रहे।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/6360-6650

दिनांक: -29-03-2023

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY), समस्त, राजस्थान।
4. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. मुख्य अभियंता, नगर निगम जयपुर/जोधपुर, राजस्थान।
6. अधीक्षण अभियंता, भरतपुर/कोटा/जयपुर/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/जोधपुर, संभाग राजस्थान।
7. अधिकाारी अभियंता समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका को उपरोक्तानुसार पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक/कनिष्ठ अभियंता समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका को उपरोक्तानुसार पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव